न्यायालय पवन कुमार अग्रवाल, विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट, बिलासपुर

विविध दा0प्र0क0 1036/2022
अपराध क0 749/2022
रेसुब पोस्ट रायगढ़
धारा 174(C) Railway Act

विवेक वर्मा पिता मिथलेश कुमार,
उम्र–31 वर्ष, निवासी नयापारा,
रायपुर (छ0ग0) ..... आवेदक

विरूद्ध

भारत संघ
द्वारा रेसुब पोस्ट रायगढ़ (छ0ग0) ..... अनावेदक

07.10.2022

आवेदक/सुपुर्ददार विवेक वर्मा की ओर से अधिवक्ता श्री संजय जिल्लारे उपस्थित।

भारत संघ द्वारा लोक अभियोजक उपस्थित।

रेसुब पोस्ट रायगढ़ से अपराध क्रमांक 749/2022 अन्तर्गत धारा 174(ग) रेल अधिनियम की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

सुपुर्दनामा आवेदन पर उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया।

आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से सुपुर्दनामा आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि रेसुब पोस्ट रायगढ़ के अपराध क0 749/2022 अन्तर्गत धारा 174(ग) रेल अधिनियम के अपराध में आवेदक के आधिपत्य की वाहन हाइवा क0 सी0जी0–04–जे0बी0–0277 को मय चाबी जप्त कर पोस्ट मे रखा गया है। आवेदक उक्त जप्तशुदा वाहन का स्वामी है। जप्तशुदा वाहन मशीनरी है तथा दैनिक उपयोग की वस्तु है, जिसके पोस्ट में खड़े रहने से देख–रेख के अभाव में उसके कलपुर्जो में खराबी आने की संभावना है। आवेदक/सुपुर्ददार, सुपुर्दनामें की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः जप्तशुदा

वाहन को सुपुर्दनामें पर प्रदान किया जावे।

उपस्थित लोक अभियोजक ने उक्त आवेदन पर औपचारिक आपत्ति प्रकट की है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन ट्रेलर क0 सी0जी0–04–जे0बी0–0277 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ के द्वारा अपराध क्रमांक 749/2022 अन्तर्गत धारा 174(ग) रेल अधिनियम के अपराध में मय चाबी आरोपी अमरेन्द्र कुमार सिंह के कब्जे से जप्त कर पोस्ट में रखा गया है। आवेदक के द्वारा जप्तशुदा वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं बीमा से संबंधित मूल दस्तावेज न्यायालय में पेश किया गया है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत जप्तशुदा वाहन के मूल दस्तावेज के मिलान से प्रथम दृष्टया आवेदक उक्त जप्तशुदा वाहन का पंजीकृत स्वामी दर्शित हो रहा है।

जप्तशुदा वाहन का वर्तमान में जीवित बीमा होने के संबंध में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत बीमा संबंधी दस्तावेज के अवलोकन से दर्शित होता है कि वर्तमान में उक्त वाहन का जीवित बीमा भी उपलब्ध है। जप्तशुदा वाहन मशीनरी है, जिसके पोस्ट में खड़े रहने से उसके कलपुर्जो में खराबी आने की संभावना से भी इनकार नही किया जा सकता है।

अतः आवेदक/ सुपुर्ददार की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 457 दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/ सुपुर्ददार के द्वारा **₹49,00,000** (अक्षरी उनचास लाख रूपये) का सुपुर्दनामा प्रस्तुत किया

जाता है, तो निम्न शर्तों पर उक्त **जप्तशुदा वाहन ट्रेलर क0 सी0जी0–04–जे0बी0–0277 को मय चाबी** सुपुर्दनामे पर प्रदान किया जावे :–

<u>शर्तेः–</u>

1. आवेदक/सुपुर्ददार उक्त वाहन को अन्य किसी को विक्रय नहीं करेगा और न ही उसके रंग, स्वरूप आदि में कोई परिवर्तन करेगा एवं विचारण के समय जब भी आवश्यकता होगी, उसे न्यायालय में स्वयं के खर्च पर प्रस्तुत करेगा।
2. आवेदक/सुपुर्ददार उक्त वाहन को सुपुर्दनामें पर

प्राप्त करने की पावती विवेचक को सौंपेंगा, जिसे विवेचक न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

मूल दस्तावेज की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न कर मूल दस्तावेज आवेदक को वापस किया जावे।

सुपुर्दनामा प्रपत्र मूल अभिलेख में संलग्न किया जावे।

केस डायरी वापस किया जावे।

——**सही**——
(पवन कुमार अग्रवाल)
विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट
बिलासपुर (छ0ग0)